राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

कमांक : प.2(4384)/निचिस्वा/विधि/2014/ 4076

दिनांक:- 27/10/14

आदेश

विषय :- 1. एस0बी0सि0रिट पि0संख्या 6154/2014
2. डॉ0 अजय राज सिंह हाडा (चिकित्सा अधिकारी) बनाम राज्य सरकार व अन्य। (........................................ से संबंधित)
3. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।

दीवानी प्रकिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम 5 वर्ष 1908) के आदेश xxvII के नियम 1 एवं 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से उक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में राजस्थान राज्य की ओर से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने, अभिवचनों को सत्यापित करने एवं विविध आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु संयुक्त निदेशक (राजपत्रित), मुख्यालय को अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी केस नियुक्त किया जाता है।

प्रभारी अधिकारी केस को यह व्यादिष्ट किया जाता है कि वे राजस्थान विधि एवं वैधिक कार्य विभाग नियमावली 1999 में उल्लेखित को प्रभारी अधिकारी केस के दायित्व एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अपनी नियुक्ति के तत्काल पश्चात अन्य कार्यवाही के साथ निम्न कार्य भी सम्पादित करेंगे-

1. प्रकरण के तथ्यों के संदर्भ में तत्काल आवश्यक जानकारी एवं आगामी तारीख पेशी ज्ञात करके राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे।
2. इस विभाग को प्रपत्र ALERT LETTER की सूचना तत्काल प्रेषित करेंगे।
3. प्रकरण की विषय वस्तु से संबंधित सभी पत्रावलियां/ दस्तावेज/ अधिनियम/ नियम/ विनियम/ परिपत्र/ दिशा-निर्देश/ अधिसूचना/आदेश/सूचना एवं सुसंगत तथ्य एकत्रित करेंगे।
4. प्रकरण में उठाये गए सभी तथ्य एवं बिन्दुओं पर प्रशासनिक अनुभाग से तथ्यात्मक स्थिति प्राप्त कर ऐसे तथ्यों के आधार पर प्रकरण का पैरा कमानुसार प्रतिवेदन तैयार करते हुए एवं ऐसी अतिरिक्त जानकारी अंकित करते हुए जो राजकीय अधिवक्ता एवं राज्यपक्ष के प्रतिरक्षण/ पक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए आवश्यक/ सहायक हो, प्रस्तुत करेंगे।
5. प्रभारी अधिकारी संबंधित प्रशासनिक अनुभाग से तथ्यात्मक विवरण प्राप्त करके राजकीय अभिभाषक को प्रकरण का ब्रीफ संलग्न प्रपत्र क में उपलब्ध करायेंगे जिसमें प्रकरण की पैराकमानुसार तथ्यात्मक रि[illegible] के अतिरिक्त प्रकरण की विषयवस्तु का दिनांकवार विवरण एवं घटनाकम, संबंधित नियम, अधिनियम, अधिसूचना, परिपत्र एवं दिशा निर्देश [illegible]आदि पूर्व में समान बिन्दुओं पर निर्णित उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के निर्णय Annexure-A- (संलग्न) List/Details of Dates and Eve[illegible] Act, Rules, Notification, Circular, Guidelines etc, Courts Judgments under relevant & reference.) भी स्वंय के ज्ञान व विभाग के रिकार्डानुसा[illegible]त कर इस ब्रीफ में सम्मिलित किए जावेंगे।
6. न्यायालय में दायर किए जाने वाले वाद/ अपील/ पुनर्विलोकन/ पुनरीक्षण/विविध प्रार्थना पत्र आदि के संबंध में विभागीय तथ्यात्मक परिस्थितियों के कारण/ आधार एवं तथ्यों का अभिलेख के साथ एकत्रिकरण करेंगे, जिनके आधार पर कार्यवाही सम्पादित की जानी है।
7. उपर्युक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं सामग्री के साथ प्रभारी अधिकारी द्वारा राजकीय अधिवक्ता से व्यक्तिशः सम्पर्क करके लिखित कथन/ प्रत्युत्तर/अपील/ पुनर्विलोकन/ पुनरीक्षण/ रिट याचिका/ प्रार्थना पत्र आदि तैयार करवाया जावेगा और प्रारूपित दस्तावेज एवं स्वंय एवं राजकीय अधिवक्ता के हस्ताक्षर करवाकर तथ्यों के सत्यापन/प्रमाणीकरण/ अनुमोदन हेतु प्रशासनिक अनुभाग को प्रस्तुत किया जावेगा।
8. न्यायालय में पैरवी कर रहे राजकीय अधिवक्ता के पास प्रकरण पत्रावली परिपूर्ण एवं नवीनतम प्रगति व सूचनाओं सहित उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित करेंगें।
9. प्रकरण में न्यायालय में निर्धारित की गई सुनवाई की तारीख, प्रकरण की प्रगति एवं उसमें सम्पादित होने वाली आगामी कार्यवाही से स्वंय एवं विभाग को सदैव अवगत रखेंगे।
10. प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित होकर राजकीय अधिवक्ता की पैरवी करने में मदद करेंगे, साक्ष्य, अभिलेख एवं प्रकरण की वर्तमान नवीनतम प्रगति प्रशासनिक अनुभाग संबंधित कार्यालय/ अधिकारी से ज्ञात करके न्यायालय में प्रस्तुत करवायेगें। इस हेतु प्रभारी अधिकारी प्रकरण की नवीनतम जानकारी एवं प्रगति निरन्तर प्राप्त करते रहेंगें।
11. प्रभारी अधिकारी प्रत्येक तारीख पेशी का कार्यवाही विवरण एवं आगामी तारीख पेशी का पत्रावली पर अंकन कर विभाग को अवगत करायेंगें और LITES के प्रपत्र 7 में आगामी तारीख का व्यक्तिशः इन्द्राज करवायेंगे।
12. प्रभारी अधिकारी द्वारा न्यायालय से कोई आदेश, निर्देश, निर्णय पारित होने पर विभाग को उसके तथ्यों सहित उसी दिन जानकारी/ सूचना उच्चाधिकारी को देनी होगी और न्यायालय के उक्त निर्देश/ आदेश/ निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु उसी दिन अथवा आगामी दिवस को आवेदन प्रस्तुत करेंगें।
13. न्याय विभाग को निर्धारित प्रपत्र Court Order Information में निर्णय की सूचना देनी होगी।
14. प्रकरण में स्वंय की रिपोर्ट और राजकीय अधिवक्ता की राय के साथ न्यायालय के निर्देश, आदेश, निर्णय की प्रमाणित प्रति न्यायालय से प्राप्त कर तत्काल विभाग को प्रस्तुत करेंगें।
15. Case Alert, order Alert एवं reminders का प्रतिउत्तर प्रभारी अधिकारी स्वंय न्याय विभाग को प्रस्तुत करवायेंगे और न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में सम्पादित कार्यवाही एवं प्रगति से भी से न्याय विभाग को समय-समय पर अवगत करवाया जावेगा।
16. विभाग के विरूद्व पारित निर्णय के संदर्भ में आगामी अपीलीय कार्यवाही में अन्य प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति अथवा निर्णय की अनुपालना होने तक प्रभारी अधिकारी का दायित्व निरन्तर रहेगा।
17. प्रभारी अधिकारी वादकरण प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु न्याय विभाग की वेबसाईट LITES के निर्धारित सभी प्रपत्रों का संधारण करेंगे एवं LITES/ Updation Center को समय -समय पर प्रकरण प्रगति व अद्यतन सूचना प्रस्तुत करेंगे।
18. प्रभारी अधिकारी का स्थानान्तरण/ सेवानिवृत होने की स्थिति में अथवा प्रकरण अन्य प्रभारी अधिकारी को स्थानान्तरित होने पर सभी प्रकरणों की सूची, पत्रावलियां, अभिलेख, आगामी तारीख पेशी और उस पर न्यायालय में सम्पादित होने वाली कार्यवाही का विवरण नवीन प्रभारी अधिकारी का उपलब्ध करवाया जावेगा, अन्यथा स्थिति में अंतिम वेतन भुगतान प्रपत्र (एलपीसी) जारी नहीं होगा।
19. यदि प्रभारी अधिकारी उपर्युक्त निर्देशों की उपेक्षा करता है अथवा इनके प्रति असावधान पाया जाता है तो स्वंय को अनुशासनिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी बनायेगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

कमांक : प.2(4384)/निचिस्वा/विधि/2014/ 4076

दिनांक:- 27/10/14

प्रतिलिपिः-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/वादकरण) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक प.9 (5)(47)कार्मिक/क-3/वाद/2014 जयपुर दिनांक 12.08.2014 के कम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अनुभागाधिकारी-प्रथम, कार्मिक (क-3/वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं केस प्रभारी अधिकारी।
6. अति. निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को नोटिस एवं याचिका की प्रति प्रेषित कर लेख हैं कि प्रकरण का पैरावाईज तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रभारी अधिकारी केस को शीघ्र उपलब्ध करावें, ताकि वे माननीय न्यायालय में तदनुसार जवाब तैयार करवाकर समय पर प्रस्तुत कर सकें। संलग्नः- उपरोक्तानुसार।
7. संयुक्त निदेशक (राजपत्रित), मुख्यालय एवं अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी केस को नोटिस एवं रिट की छाया प्रति प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारी से सम्पर्क कर पसैरावाईज तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त कर संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख सहित प्रकण में नियुक्त केस प्रभारी अधिकारी अनुभागाधिकारी-प्रथम, कार्मिक (क-3/वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से संपर्क कर प्रकरण का जवाब अविलम्ब माननीय न्यायालय में पेश कराने की कार्यवाही करें तथा जवाब की एक प्रति निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करते हुये माननीय न्यायालय में हुई कार्यवाही/प्रगति से एवं सुनवाई दिनांक से निरन्तर अवगत कराते रहें। संलग्न-उपरोक्तानुसार।
8. श्री संजय कुमार शर्मा, गवर्नमेंन्ट कौंसल (चिकित्सा विभाग), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर, मोबाईल नंबर 94142-41917
9. प्रभारी सर्वर रूम को मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड एवं ई-मेल करने बाबत्।
10. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, विधि अनुभाग, मुख्यालय।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।